निवेशकों की राह आसान करने के लिए उद्यमी मित्रों को दो माह का समय

- निर्धारित समय में प्रस्ताव का निस्तारण न होने पर होगी कार्रवाई
- निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों को दिए गए और अधिकार

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ: इन्वेस्ट यूपी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उद्यमी मित्रों को दो माह का समय दिया है। निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा न करने वाले उद्यमी मित्रों को हटाया जाएगा।

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने उद्यमी मित्रों को और अधिकार प्रदान किए हैं। इसके तहत उद्यमी मित्र निवेशकों को विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कराने से लेकर भूमि आवंटन और बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने इस संदर्भ में सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन्वेस्ट यूपी ने निवेशकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत राज्य में 105

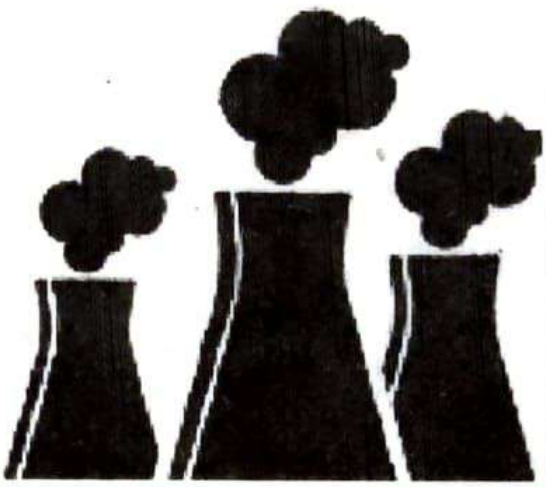

उद्यमी मित्रों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है। इन्हें विशेष तौर पर निवेशकों के साथ संवाद करने और निवेश को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उद्यमी मित्र को निवेश की 10-10 परियोजनाएं आवंटित

अब इन्वेस्ट यूपी ने उद्यमी मित्र को एकल बिंदु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही प्रत्येक उद्यमी मित्र को उनके जिलों से संबंधित निवेश की 10-10 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में उद्यमी मित्रों को यह अधिकार दिए हैं कि अगर निवेश संबंधी प्रस्ताव को लेकर एनओसी जारी करने में किसी विभाग से देरी की जाती है तो उद्यमी मित्र सीधे उसकी शिकायत कर सकेंगे। उनकी शिकायत पर संबंधित विभागों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हर 15 दिनों में उद्यमी मित्रों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।